छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
––00––

क्रमांक 887/उ.शि/335/एफ–38–2/रा.से.यो./2021 रायपुर, दिनांक 15/06/2021

प्रति,

1. **समस्त प्राचार्य**
शासकीय एवं निजी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़ ।

2. **समस्त कार्यक्रम समन्वयक,**
राष्ट्रीय सेवा योजना,
रासेयो युक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषयः– **सेवा हेतु छत्तीसगढ़ टाइम बैंक ऐप की तैयार एवं कियान्वयन संबंधी ।**
संदर्भः– **सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित आभासी बैठक दिनांक 25.05.2021 एवं 03.06.2021.**

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत टाइम बैंक सेवा एवं सुविधा के कियान्वयन हेतु आभासी बैठकों में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए ऐप निर्माण तथा कियान्वयन संबंधी निर्णय लिये गये हैं । इस संदर्भ में ऐप तैयार करने हेतु स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के एन.एस.एस. प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी के साथ ऐप निर्माण/तैयारी के लिए वर्ष 2021–22 में राशि रू. 20,000/– (राशि रू. बीस हजार मात्र) की स्वीकृति दी गई है । ऐप की तैयारी एवं कियान्वयन हेतु कार्यक्रम समन्वयक (एनएसएस), स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को प्रभारी बनाया गया है । समस्त प्राचार्य तत्काल एन.एस.एस. इकाई से विद्यार्थियों के साथ बैठक (आभासी) बुलवाएँ । छात्र–छात्राओं को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गहन प्रशिक्षण दें। ईच्छुक छात्र–छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए, उन्हें प्रोत्साहित कर पंजीयन करावें । सेवा हेतु छत्तीसढ़ टाइम बैंक की अवधारणा एवं कियान्वयन कि लिए ऐप निर्माण करते समय निम्नवत् बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाए ।

1. **इसमें सहभागिता महाविद्यालयीन छात्रों की ही होगी तथा जो कम से कम 01 वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक रह चुके हो या C प्रमाण पत्र हेतु पंजीकृत हो। इस प्रकार इस में सहभागिता करने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या आगामी निर्देश तक 5000 ही रखी जाए ।**
2. **सेवा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होगा। यह पूर्णतया स्वैच्छिक होगा तथा किसी प्रकार की संस्थागत अथवा व्यक्तिगत बाध्यता नही होगी परंतु कार्यक्रम अधिकारियों का संपूर्ण नियंत्रण रहेगा।**
3. **किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका न रहे एवं विश्वास का वातावरण कायम हो इस दृष्टिकोण एक परिवार/व्यक्ति को सेवा हेतु न्यूनतम 02 छात्रों/छात्रा का होना जरूरी रहेगा तथा महिला हेतु छात्रा स्वयं सेवक को ही वरीयता दी जायेगी।**
4. **एक घण्टा सेवा देने पर 01 घण्टा का लाभ प्राप्ति (Give an hour gain an hour) अवधारणा पर आधारित इस योजना में एक्सचेंज का माध्यम 'टाइम क्रेडिट' ही रहेगा, धन या अन्य कोई सुविधा की प्राप्ति नहीं होगी तथा इसका मूलतः उद्देश्य जीवन में मंगल तथा आनंद सृजन एवं समाज सेवा ही रहेगा। किसी भी प्रकार का उपहार लेना वर्जित होगा ।**
5. **स्वयं सेवक अपने द्वारा की दी गयी सेवाओं एवं उनके बदले में अर्जित टाइम क्रेडिट का उपयोग अपने परिवारजनों या मित्रों के परिवार के लिये कर सकेंगे जो 'Redeem' हो सकेगा।**
6. **सेवा के घण्टे का निर्धारण निम्न उद्देश्यों के लिये हो सकेगा –**
   - **वरिष्ठ नागरिकों से भावनात्मक जुड़ाव हेतु वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, सहयोग, मनोरंजन, सुविधा प्रदाय ।**
   - **अस्पताल के मरीजों की सहायता जिससे कि वे नियमित दिनचर्या में लौट सके।**
   - **उम्र अधिक हो जाने पर वरिष्ठ जनों को घर में सहायता हेतु व वृद्धाश्रम में सेवा कार्यो हेतु ।**

388 D:/HKY/NVERMA/NSS Letter 2020